बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

आदेश

भूकम्प आपदा के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा दिनांक–13.05.15 से बिहार के सभी विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश की छुट्टी घोषित करते हुए यह आदेश दिया गया है कि पूर्व से घोषित ग्रीष्मावकाश की छुट्टी समाप्ति के एक सप्ताह पूर्व विद्यालय खोले जायेंगे।

उक्त आदेश के आलोक में विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में भी पूर्व से घोषित ग्रीष्मावकाश की अंतिम तिथि से एक सप्ताह पूर्व अर्थात् दिनांक–21.06.15 से आवासीय विद्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे। चूँकि दिनांक–21.06.15 रविवार है, इसलिए पठन–पाठन का कार्य सुचारू रूप से दिनांक–22.06.15 से शुरू होगा।

2– प्रस्ताव में सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(मनोज कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0/स्था0–15–103/2012– 1157 पटना, दिनांक– 14-5-15

प्रतिलिपि– सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण/ सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/5/15
सरकार के उप सचिव।